

Act No. 37 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 10

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन  
संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन  
विधेयक, 2013

### खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 41 का संशोधन।

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और  
विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और  
विनियमन अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने  
के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा  
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2013 है।</p> <p>(2) यह 19 जून, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।</p> <p>2. ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना धारा 41 का<br/>और विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में<br/>“पच्चीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पचास वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।</p> | <p>संक्षिप्त<br/>नाम और<br/>प्रारम्भ।</p> |
|--|---|

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

श्रीमति (पंडित) अद्यक्ष

अद्यक्ष।

आमदादा

दिल्ली राज्य प्रदेश

दिल्ली राज्या, शिमला

शिमला-171004.

दिनांक ३० -०४ -2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति द्दो

उम्मीदवाल

राज्य प्राज्ञ  
राज्यपाल  
हमाचल प्रदेश

शिमला-171002.

दिनांक : २८ -६ -2013

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 10 OF 2013

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY  
ESTABLISHMENT AND REGULATION  
AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY  
ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA  
UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION  
AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 20 of 2013).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Amendment Act, 2013. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 19<sup>th</sup> day of June, 2012.

2. In section 41 of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012, in sub-section (2), in the proviso, for the words “twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted. Amendment of section 41.

मैं, ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 10) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

उमीदा (टिकी)  
राज्यपाल  
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 10) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चंद्रमा आवृत्ति  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।